न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

<u>निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई॰ए॰एस</u>

प्रकरण संख्या **05 / 2016** आवंटन निरस्ती

श्री लालुराम पिता मेघा डांगी निवासी नउवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

—— **अपीलान्ट**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री भगवतीलाल पिता छोगालाल महाजन, निवासी चंदेसरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

—— **रेस्पोडेन्टगण**

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970</u>

उपस्थितः 1. श्री गिरधारीलाल शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री मनोज कुमार पॅवार, पैरोकार सरकार
3. श्री शान्तिलाल चपलोत, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2

<u>निर्णय</u>

दिनांकः—...............

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम नउवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर में स्थित आराजी संख्या 1198 रकबा 5111 / 3 बिघा भूमि में से 4 बिघा भूमि विपक्षी भगवतीलाल महाजन के पिता श्री छोगालाल महाजन पिता भारमल महाजन के नाम पर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 17.05.1982 को आवंटीत की गई जो नियम विरूद्ध की गई हैं। भूमि से लगी

भूमि पर प्रार्थी व उसके भाईयो का कब्जा हैं। इन्होने इस पर पत्थर की कोट बना रखी है तथा विगत 40 वर्षो से कृषि कार्य करते आ रहे हैं। जबसे यह बिलानाम थी इसके साथ ही प्रार्थी की भूमि लगी हैं। प्रार्थी उसके भाई व माता के नाम की भूमि विपक्षी को आवंटीत भूमि कुल मिलाकर बीस बिघा का एक ही चक है जिसमें कोई विभाजन या बंटवाड़ा नहीं हैं। चूंकी पूर्व में 15 बिघा भूमि प्रार्थी व उसके भाई व माता को आवंटीत हो चुकी है तथा शेष पॉच बिघा में से चार बिघा भूमि छोगालाल जैन को नियम विरूद्ध आवंटीत कर दी गई थी। छोगालाल जैन भूमिहीन व्यक्ति नहीं है तथा ना ही वह काश्तकार या कृषक हैं। छोगालाल जैन व्यापारी होकर एक सम्पन्न व धनाढ्य व्यक्ति है उसके नाम पर चंदेसरा व अन्य जगह कृषि भूमि मकान, दुकाने व व्यवसाय हैं। वह व्यापारी है और लाखो रूपये का व्यापार सालाना करता हैं। छोगालाल जैन ग्राम नउवा का निवासी भी नहीं है वह इसकी पंचायत व राजस्व ग्राम चंदेसरा का व्यक्ति हैं। उसने धनबल व अपनी पहूँच का इस्तेमाल करके तथा तथ्यो को छिपाकर यह आवंटन करवाया है जो कानूनन निरस्त होने योग्य हैं। छोगालाल जैन 1982 के बाद व पूर्व कभी भी उपरोक्त भूमि पर आया ही नहीं परन्तु छोगालाल की मृत्यु के बाद उसके पुत्र भगवतीलाल द्वारा जबरन प्रार्थी के कब्जे वाली भूमि पर कब्जा करने, प्रार्थी की पत्थर की कोट हटाने का प्रयास किया जा रहा हैं। भूमि का आवंटन बिना जॉच पड़ताल व विधि विरूद्ध प्रक्रिया से किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। नियमानुसार आवंटी को प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत तथा शेष भूमि को दो वर्षो में उपजाउ बनाकर कृषि करना प्रारम्भ कर देना चाहिये, परन्तु छोगालाल जैन 1982 से अपनी मृत्यु तक 2012 तक कभी भी उपरोक्त भूमि पर नहीं आया। उसे पता भी नहीं की कौनसी भूमि उसे आवंटन हुई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 2 भगवतीलाल के पिता छोगालाल महाजन के नाम किया गया आवंटन दिनांक 17.05.1982 को निरस्त फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी संख्या 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली हैं।

अपने जवाब में विपक्षी संख्या 2 द्वारा निवेदन किया गया है कि मौजा नउवा तहसील मावली उदयपुर में स्थित आराजी संख्या 1198 रकबा 5 बिघा 18 बिस्वा भूमि में से 4 बिघा भूमि विपक्षी भगवतीलाल के पिता श्री छोगालाल जी महाजन पिता भारमल जी महाजन के नाम पर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा 17.05.82 को नियमानुसार आवंटीत की गई। जो वर्तमान में विपक्षी संख्या 2 के कब्जे काश्त में हैं। वक्त आवंटन भूमि बंजड़ थी जिसे काफी लागत व श्रम से भूमि को आबादान कर भूमि को काबिल काश्त बनायी गई। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में गलत कथन किये हैं। आवंटीत आराजी का कुल रकबा 20 बिघा है जिसमें से 4 बिघा ही विपक्षी के पिता के नाम आवंटीत हुई। इसके अलावा जमीन प्रार्थी के भाई व माता को आवंटन हुई व कुछ पर प्रार्थी का नाजायज कब्जा हैं। विपक्षी के पिता के नाम 2–3 बिघा जमीन ही थी। वह कुल 8 भाई है इस हिसाब से विपक्षी भूमिहीन खातेदार ही हैं। सन् 1992–1993 में पंचायतो का पुर्नगठन हुआ। उस समय नउवा पंचायत चंदेसरा में से काटकर बनायी गई व चंदेसरा पंचायत से अलग की गई। जो एक प्रशासनिक प्रक्रिया थी। अप्रार्थी के पिता नितान्त धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होने कोई तथ्य नहीं छिपाया। प्रार्थी केवल नाजायज लाभ उठाने के लिये 34 वर्ष पूर्व जमीन अलोट हुई उसके विरूद्ध यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि प्रार्थी के पिता का देवलोकगमन 09.05.56 को हो गया था। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त कराना फरमावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 2 के पिता श्री छोगालाल महाजन निवासी चंदेसरा को दिनांक 17.05.82 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन किया गया। आवंटन नियम विरूद्ध

किया गया हैं। इस आवंटीत भूमि पर कब्जा प्रार्थी व उसके भाईयो का है जो विगत 40 वर्षो से कृषि कार्य करते आ रहे हैं। जब से यह बिलानाम थी। इसी आराजीयात में प्रार्थी व उसके परिवार के अन्य लोगो को 15 बिघा भूमि पूर्व में आवंटीत हो चुकी हैं। आवंटी छोगालाल जैन भूमिहीन व्यक्ति नहीं था। वह व्यापारी होकर एक सम्पन्न व धनाढ्य व्यक्ति हैं। उसके नाम पर चंदेसरा व अन्य जगह कृषि भूमि मकान दुकाने व व्यवसाय हैं। लाखो रूपयो का सालाना व्यापार करता हैं। छोगालाल जैन राजस्व ग्राम नउवा का निवासी भी नहीं हैं। वह राजस्व ग्राम चंदेसरा का व्यक्ति हैं तथा तथ्यो को छिपाकर आवंटन करवाया गया हैं। छोगालाल जैन सन् 1982 के बाद व पूर्व में कभी भी आवंटीत भूमि पर आया ही नहीं। परन्तु छोगालाल की मृत्यु के बाद उसके पुत्र भगवतीलाल द्वारा जबरन प्रार्थी के कब्जे वाली भूमि पर कब्जा करने व प्रार्थी की पत्थर की कोट हटाने का प्रयास किया जा रहा हैं एवं जबरन कब्जा करने पर आमादा हैं तथा पुलिस में फॅसाने व गुण्डो से मरवाने की धमकी देता रहता हैं। मुल आवंटी व उसके पुत्र का आवंटीत भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा। नाही इनके द्वारा आवंटन शर्तो की पालना ही की गई हैं। अतः विपक्षी संख्या 2 के पिता के नाम आवंटीत भूमि को खारीज किया जाकर पुनः बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 द्वारा प्रार्थी के कथनो का विरोध करते हुए प्रस्तुत जवाब के समर्थन में निवेदन किया कि आवंटन कमेटी द्वारा विधिवत बाद जॉच विपक्षी संख्या 2 के पिता के नाम दिनांक 17.05.82 को मौजा नउवा की आराजी संख्या 1158 में 4 बिघा भूमि का आवंटन किया गया। आवंटन के पश्चात् विधिवत कब्जा सिपुर्द पटवारी हल्का किया गया। कब्जा सिपुर्दगी की दिनांक से ही विपक्षी संख्या 2 का कब्जा निरंतर आवंटीत भूमि पर हैं। भूमि कब्जे काश्त विपक्षी संख्या 2 के पास ही हैं। काफी भारी लागत लगाकर भूमि को कृषि काबिल बनायी गई हैं। आवंटी छोगालाल द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कोई भी गलत तथ्य नहीं किये गये हैं। सत्य कथन ही आवेदन

पत्र में दिये गये हैं। उसके आधार पर ही भूमि का आवंटन हुआ हैं। प्रार्थी जबरन इस भूमि को हथियाना चाहते हैं। अतः 38 वर्ष बाद आवंटन निरस्ती का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 2 को जलील व परेशान किया जा रहा हैं। जिसे निरस्त फरमाया जावें। अपनी बहस की ताईद में आर आर टी 2010 (2) पेज 1222, आर आर टी 2010 (2) पेज 1226, आर आर डी मई 2005, पेज 301, आर आर डी मई, 2005 पेज 303, आर आर डी मई, 2003 पेज 138, आर आर डी मई, 2003 पेज 140, आर आर टी 2005 (2) पेज 1037, आर आर टी 2015 (2) पेज 1040, आर आर टी 2010 (2) पेज 1226, आर आर डी अप्रेल, 2005 पेज 228, आर आर डी अप्रेल, 2005 पेज 233 की नजीरे प्रस्तुत की गई।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अध्ययन किया गया। विपक्षी संख्या 2 के पिता छोगालाल महाजन पिता भारमल महाजन को उसके प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर आवंटन कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से मौजा नउवा की आराजी संख्या 1198 में 4 बिघा भुमि का आवंटन किया गया। जिसका कब्जा भी दिनांक 02.08.81 को पटवारी हल्का द्वारा विधिवत आवंटी छोगालाल जैन को सिपुर्द किया जाकर दखलनामा प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जो दलील दी गई है वह मुल आवंटन कमेटी से साबित नहीं होती हैं। करीब 36 वर्ष उपरान्त आवंटन निरस्ती हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया हैं। विपक्षी संख्या 2 को आवंटन कमेटी द्वारा विधिवत आवंटन किया है जो नियमो के तहत हैं। यह आवंटन विपक्षी संख्या 2 द्वारा कपट या दुर्व्यपदेशन द्वारा प्राप्त नहीं किया गया हैं। प्रार्थी द्वारा ऐसे भी कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे यह साबित होता हो कि वह वक्त आवंटन भुमिहीन नहीं था एवं वह सद्भाविक काश्तकार नहीं हैं। ऐसी स्थिति में वर्तमान प्रकरण में चुंकी आवंटन वर्ष 1981 में किया गया था। संलग्न जमाबन्दी 2029—2071 में यह भुमि खातेदारी से विपक्षी के नाम दर्ज भी

हैं। यानिकी उक्त आवंटीत भूमि के खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में आवंटन के 36 वर्ष बाद आवंटन निरस्ती की कार्यवाही कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत खारीज किया जाना उचित नहीं हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 का खारीज किया जाता हैं।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर